राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 17वीं बैठक माननीय केंद्रीय मंत्री (एमएसएमई) की अध्यक्षता में 23 मार्च, 2022 को इंडिया हैबिटेट सेंटर , लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

2. बैठक की शुरुआत **सचिव (एमएसएमई)** के आधार व्याख्यान से हुई। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय की कार्यकलापों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सचिव (एमएसएमई) ने एमएसएमई क्षेत्र के योगदान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि एनबीएमएसएमई की पिछली बैठकों में किए गए रचनात्मक सुझावों के परिणामस्वरूप एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न पहलों का कार्यान्वयन हुआ है।

3. **माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई)** और एनबीएमएसएमई के उपाध्यक्ष ने विशेष रूप से महामारी की प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार की हालिया पहलों के बारे में सदस्यों को सूचित किया। उन्होंने महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर भारत घोषणाओं पर विचार-विमर्श किया।

4. सदस्यों को एमएसएमई मंत्रालय और विकास आयुक्त-एमएसएमई के कार्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप , कार्य-निष्पादन और उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के साथ-साथ 2022-23 की बजट घोषणाओं के आलोक में यथोचित समय में आगे बढ़ने के तरीके से अवगत कराया गया।

5. **अपर सचिव एवं विकास आयुक्त** और सदस्य-सचिव एनबीएमएसएमई ने सदस्यों से कार्यसूची की मदों पर उनके विचारों के बारे में अनुरोध किया। सदस्यवार विचार-विमर्श के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

6. **डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती , संसद सदस्य (लोक सभा)** ने सार्वजनिक खरीद नीति के तहत तकनीकी उन्नयन, महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़े हुए बजटीय प्रावधान की सराहना की। उन्होंनें सीएलसीएस जैसी जमीनी स्तर की योजनाओं की रूपरेखा और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त , उन्होंनें एमएसएमई क्षेत्र के लाभ के लिए विशाखापट्टनम और तिरूपति में सुविधा केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए अनुरोध किया।

7. **श्री विष्णु कुमार** ने सदस्यों को विजयवाड़ा में एक सुविधा केंद्र के अस्तित्व के बारे में बताया, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण यह केंद्र मामले नहीं ले रहा है। उन्होंनें तिरूपति और विशाखापट्टनम में सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कोविड काल में उत्पन्न होने वाले मुद्दों यथा कीमतों में वृद्धि , ईएसआई, जीएसटी, पीएफ आदि से संबंधित मुद्दों का हवाला दिया। इसके अलावा , सेबी के नियमों के प्रावधानों के आलोक में, उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थानों से एमएसएमई द्वारा वित्तीय लाभ प्राप्त करने के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए बाहरी क्रेडिट एजेंसियों द्वारा स्वयं अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनिवार्य ऑडिट किए जाने के निर्देश दिए जाने चाहिए। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र के लाभ के लिए स्थानीय स्तर पर तत्काल आवश्यकताओं के संबंध में कुछ मामलों को उठाने के लिए एनबीएमएसएमई सदस्यों को कुछ शक्ति प्रदान करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, उन्होंने 20,000 से अधिक फ्लाई ऐश ईंट विनिर्माण इकाइयों के लाभ के लिए कच्चे माल के लिए 30% फ्लाई ऐश मुक्त उपलब्धता के संबंध में सरकारी नीति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने एनबीएमएसएमई बैठक को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

8. **डॉ. जे.आर. बंगेरा** ने सुझाव दिया कि बैंकों से जीईसीएल ऋणों के लिए 60 माहों के पुनर्भुगतान प्रावधान के लिए अनुरोध किया जा सकता है और निजी बैंकों को अनुसूचित बैंकों की तुलना में ब्याज दर ऊंची नहीं रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त , उन्होंने कहा कि विलंबित भुगतानों के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में सुविधा केंद्र सृजित किए जाने चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि विनिर्माण , सेवा और व्यापारिक इकाइयों हेतु पंजीकरण के लिए प्रावधान अलग-अलग हो। इसके अलावा , उन्होंने एमएसई के लिए सीएमआर रेटिंग के लिए सिबिल को हटाने और दस्तावेजों की प्रक्रिया के संबंध में ओडी और ओजीसी नवीनीकरण के लिए शुल्क माफ करने का अनुरोध किया।

9. **डॉ. टीना शर्मा** ने महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एनबीएमएसएमई की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने और एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तत्संबंधी अधिकारियों के साथ एनबीएमएसएमई सदस्यों के बैठने की जगह के लिए अनुरोध किया। इसके अलावा, उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में सुविधा केंद्र बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय की कार्यकलापों और योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए उद्योग मंडलों के बीच कार्यक्रमों के आवंटन का भी अनुरोध किया।

10. **श्री संपत तोशनीवाल** ने अनुरोध किया कि केवल भारतीय मूल के एमएसएमई को सार्वजनिक खरीद नीति के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए और निर्यात

मूल्य को उद्यम पोर्टल पर वर्गीकरण के उद्देश्य से कुल टर्नओवर से कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रभात कुमार समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उनका सुझाव था कि मध्यम क्षेत्र को एमएसएमई के दायरे से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि परिभाषा के उद्देश्य से विनिर्माण और सेवाओं के विलय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और सेवा क्षेत्र के लिए यह सीमा कम होनी चाहिए। उन्होंने एक अलग "नैनो" श्रेणी के निर्माण की सिफारिश की और कहा कि एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक समग्र नीति तैयार की जानी चाहिए।

11. श्री एम. मोहनसुंदरम ने विशेष रूप से छोटे या नैनो उद्यम के लिए प्रौद्योगिकी, ऋण और विपणन सहायता की आवश्यकता का उल्लेख किया। इसके अलावा, टाइनी या नैनो उद्यमों को सभी ऋण सीजीटीएमएसई के माध्यम से होने चाहिए। उन्होंने एनपीए मानदंडों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता के बारे में भी उल्लेख किया।

12. श्री बलदेवभाई गोविंदभाई प्रजापति ने कहा कि 29 फरवरी, 2020 की निर्धारित तिथि के कारण ईसीएलजीएस का कार्यान्वयन सीमित हो गया है। उन्होंने ब्याज छूट योजना के पुनरुद्धार का सुझाव दिया। उन्होंने पाया कि एनएसआईसी कच्चे माल की दर में वृद्धि ने एमएसएमई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में पीएलआई योजना शामिल होनी चाहिए और कौशल विकास योजना की आवश्यकता भी होगी।

13. सुश्री हरजिंदर कौर ने एक मानकीकृत बैंक गारंटी के प्रारूप की आवश्यकता और विदेशी संघों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कोलेट्रल मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमियों को परिभाषित करने और डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

14. श्री रवींद्र दत्तात्रेय वैद्य ने कहा कि सीजीटीएमएसई योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों के खराब प्रदर्शन की कीमत एमएसई को चुकानी पड़ती है। इस मुद्दे के समाधान के लिए गारंटी ट्रस्ट फंड का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। 500 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां जिन्हें ट्रेड्स पर पंजीकृत होना है उनके प्रदर्शन की निगरानी की जानी चाहिए। ईएमडी के बिना निविदा में भाग लेने के लिए , उद्यम पंजीकरण पर्याप्त हो सकता है , और एनएसआईसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। जीईएम पोर्टल पर पंजीकरण निर्माताओं की तुलना में व्यापारियों के लिए आसान है। दोनों के लिए समान पंजीकरण होना चाहिए। जीएसटी नियमों में बदलाव से एमएसएमई इकाइयों पर दबाव है। पिछले वर्ष में जीएसटी भुगतान की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमा की अनुमति ईसीएलजीएस

की समान तर्ज पर एमएसएमई इकाइयों के लिए दी जानी चाहिए। यदि बड़े खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी की जाती है तो उनके लिए दंड का प्रावधान हो।

15. श्री प्रदीप किशन राव पेशकर ने सुझाव दिया कि सेवा क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम होना चाहिए। एनपीए से संबंधित मुद्दों से बचने के लिए सूक्ष्म इकाइयों के लिए कोविड की अवधि के लिए सिबिल रिकॉर्ड का आकलन किया जाना है। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक समय पर होनी चाहिए।

16. श्रीमती अंजू सिंह ने महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने एमएसएमई-विकास संस्थानों के सहयोग से उद्योग संघों द्वारा की गई प्रदर्शनियों के लिए समय पर प्रतिपूर्ति की आवश्यकता पर जोर दिया।

17. श्री रवि कुमार , निदेशक, सिक्किम सरकार ने कहा कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए स्फूर्ति और एमएसई-सीडीपी के तहत उद्यमों की संख्या की अनिवार्य आवश्यकता को कम करने की जरुरत है। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अधिक टूल रूम/विस्तार केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में केंद्रीकृत बाजार की स्थापना का अनुरोध किया।

18. श्री राकेश गुप्ता ने कहा कि इस्पात क्षेत्र एमएसएमई की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है और इसलिए, एक अलग श्रेणी पर विचार करने का अनुरोध किया। विलंबित भुगतान के संबंध में, उन्होंने सुझाव दिया कि यदि एमएसई इकाइयों को उपायुक्त या क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुकूल निर्णय मिलता है , तो उच्चतर न्यायालय में अपील करने के लिए चुनौती का प्रावधान नहीं होना चाहिए। एमएसएमई की सुविधा के लिए बोर्ड के सदस्यों को वित्त समिति में रखा जाना चाहिए ताकि समिति में इस मुद्दे को विचारार्थ रख सकें। बोर्ड के सदस्यों को पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए और सभी सदस्यों का विवरण अन्य सभी सदस्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

19. श्रीमती स्मिता यशवंत घईसस ने कहा कि योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं की पहुंच और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एनबीएमएसएमई सदस्यों की जिम्मेदारियों तय की जानी चाहिए।

20. श्री प्रभात केशरी मिश्रा ने कहा कि कोलेटरल सिक्यूरिटी के मुद्दों के कारण ओडिशा राज्य में पीएमईजीपी ऋण कम प्रभावी हैं। इस मुद्दे के समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने कौशल विकास योजनाओं को आईटीआई और आईटीसी के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे और

15% कीमत वरीयता के साथ जोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उस एक सदस्यीय प्रभात कुमार समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए।

21. श्री नरेश चंद्र पारेख ने तिमाही आधार पर एनबीएमएसएमई की लगातार बैठकें करने या मंत्रालय में नोडल अधिकारी जिनके समक्ष मुद्दे रखे जा सकते हैं नियुक्त करने का अनुरोध किया ।

22. श्रीमती रश्मि मिश्रा ने अनुरोध किया कि मंत्रालय पुणे में पैराफ्लेजिक सेंटर के साथ काम करने के लिए सहयोग कार्य कर सकता है। इसके अलावा , उन्होंने रक्षा मंत्रालय की सीएसडी कैंटीन में केवीआईसी उत्पादों को रखवाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि महिला सशक्तिकरण के लिए रक्षा मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाए।

23. श्री योगेश मेहता , जिन्होंने माननीय सांसद श्री लालवानी , लोकसभा सदस्य का प्रतिनिधित्व किया, ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय औद्योगिक क्षेत्र या इकाइयों को स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू कर सकता है जिसमें वे रियायती दरों पर जमीन खरीद सकें। जब एमएसएमई इकाइयां उद्योग के उद्देश्य के लिए आवास-संपत्ति खरीदें उस स्थिति में एमएसएमई मंत्रालय व वित्त मंत्रालय कैपिटल-गेन के कर पर फायदे के लिए विचार कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने दालों के लिए औद्योगिक प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने की सिफारिश की।

24. श्री रॉबिन बालाकेई ने मणिपुर राज्य और पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों में पीएमईजीपी योजना के तहत बैंक ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को उठाया।

25. श्री नारायण राणे , माननीय केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष एनबीएमएसएमई ने एनबीएमएसएमई के सभी सदस्यों तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उनका ध्यान 16वीं बैठक के बाद से चार साल के लंबे अंतराल पर भी गया। उन्होंने पुष्टि की कि यह बैठक समय सीमा के भीतर आयोजित की जाएगी और वह एनबीएमएसएमई के सदस्य से मिलने के लिए शनिवार और रविवार को छोड़कर , सभी कार्यालय दिवसों में दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने अवलोकन किया कि एमएसएमई मंत्रालय के बजट प्रावधान बहुत कम हैं जबकि एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकताएं काफी बड़ी हैं। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद में योगदान , निर्यात, रोजगार सृजन और देश को आत्मनिर्भर बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में

भी बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगे इसके आंकड़ों में वृद्धि होगी। महामारी और उसके प्रभाव का उल्लेख करते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि सदस्यों को उन उद्यमों का अध्ययन करना चाहिए जो चीन की अर्थव्यवस्था में बंद हो गए और एमएसएमई के क्षेत्र में ऐसे उद्यमों को स्थापित करने के अवसर को अपनाने के बारे में विचार करना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान होना चाहिए। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अगली बैठक से पहले उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

*****

अनुबंध

प्रतिभागियों की सूची

एनबीएमएसएमई के सदस्य या उनके प्रतिनिधि

1. श्री नारायण राणे, माननीय केंद्रीय मंत्री (एमएसएमई) और अध्यक्ष (एनबीएमएसएमई)
2. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा , माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई) और उपाध्यक्ष (एनबीएमएसएमई)
3. डॉ. बीसेटी वेंकट सत्यवती, संसद सदस्य और सदस्य (एनबीएमएसएमई)
4. श्री शंकर लवानी, माननीय संसद सदस्य और सदस्य (एनबीएमएसएमई)
5. श्री बी.बी.स्वैन, सचिव (एमएसएमई) और सदस्य (एनबीएमएसएमई)
6. श्री शैलेश कुमार सिंह , अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) और सदस्य-सचिव (एनबीएमएसएमई)
7. श्री पी.विष्णु कुमार राजू, सदस्य (एनबीएमएसई)
8. डॉ. टीना शर्मा, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
9. श्री बलदेवभाई गोविंदभाई प्रजापति, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
10. श्री काशी नाथ सिंह, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
11. श्री रॉबी ब्लैकेई, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
12. श्री प्रवत केशरी मिश्रा, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
13. श्रीमती स्मिता यशवंत घैसस, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
14. सुश्री अंजू सिंह, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
15. सुश्री हरिजिंदर कौर, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
16. श्रीमती रश्मि मिश्रा, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
17. श्री हिरण्य पंड्या, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
18. श्री अनिल कुमार शर्मा, कार्यकारी निदेशक (आरबीआई) और सदस्य (एनबीएमएसएमई)
19. श्री संपत तोश्नीवाल, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
20. श्री एम. मोहनसुदराम, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
21. डॉ. जे.आर. बंगेरा, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
22. श्री रवींद्र दत्तात्रेय वैद्य, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
23. श्री राकेश गुप्ता, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
24. श्री नरेश चंद्र पारीक, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
25. श्री प्रदीप किशन राव पेशकार, सदस्य (एनबीएमएसएमई)
26. श्री राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव, (वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि), सदस्य, (एनबीएमएसएमई)
27. श्री आर.बी. रामकृष्णन, (प्रतिनिधि नाबार्ड), सदस्य (एनबीएमएसएमई)

28. श्री एम.रवि कुमार, निदेशक (सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि) सदस्य (एनबीएमएसएमई)

29. श्रीमती आर विनोतप्रिया , निदेशक, (कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि) सदस्य (एनबीएमएसएमई)

30. श्री राम सिंह, उप. निदेशक, (प्रतिनिधि डीपीआईआईटी), सदस्य (एनबीएमएसएमई)

31. डॉ. एस.एस.आचार्य, महाप्रबंधक (प्रतिनिधि सिडबी), सदस्य (एनबीएमएसएमई)

अन्य उपस्थित प्रतिभागी:

1. श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, केवीआईसी
2. श्रीमती मट्टू जेपी सिंह, एडीजी (पीआईबी), एमएसएमई मंत्रालय
3. श्रीमती अलका अरोड़ा, संयुक्त सचिव, और सीएमडी एनएसआईसी
4. श्री अतीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय
5. श्री डी.पी. श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
6. डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
7. श्री पी.पलानिवेल, उप महानिदेशक, एमएसएमई मंत्रालय
8. श्रीमती सोनिया पंत, अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
9. श्री विनम्र मिश्रा, निदेशक, एमएसएमई मंत्रालय
10. श्री यू.सी. शुक्ला, निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
11. डॉ. ओ.पी. मेहता, निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय